न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —49/2022 (अपील)

GCMS No.- 2022/183

1. भंवरलाल आत्मज स्व0 नाथूलाल उर्फ नाथू जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. पवन आत्मज स्व0 श्री महावीर मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं अपीलान्ट नं0 2 श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. महेन्द्रपाल मीणा आत्मज श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी मकान नं0 261 वीरसावरकर नगर कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. श्री अमरलाल आत्मज स्व0 श्री नाथूलाल मानसिक मंदता एवं अनसाउन्ड माईन्ड परसन जरिये संरक्षक माता स्वयं श्रीमती केसर बाई (रेस्पो0 नं0 4) पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. श्रीमती केसर बाई पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इन्तकाल नं0 232 दिनांक 11.05.2022

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

निर्णय

दिनांक—25.03.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंवरपुरा स्थित खाता संख्या 30 की आराजी किता 15 की रकबा 4.07 हे0 में से 1/7 हिस्सा खातेदार फूलां बाई पुत्री नाथू जाति मीणा व 1/7 अमरलाल आत्मज नाथूलाल मीणा के खातेदारी में दर्ज थी । खातेदार फूलां बाई व अमरलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपना सम्पूर्ण हिस्सा दोनों का 2/7 हिस्सा महेन्द्रपाल मीणा को बेचान करने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 09.5.2022 को दर्ज किया जाकर 11.5.2022 को स्वीकृत किया गया ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 232 दिनांक 11.05.2022 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 26.05.2022 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि तहसीलदार लाडपुरा ने ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि फूला बाई, व अमरलाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.5.2022 के आधार पर फूला बाई व अमरलाल के हिस्से की 1/7, 1/7 दोनों की कुल 2/7 हिस्से की भूमि रेस्पो0 नं0 1 महेन्द्रपाल मीणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 11.5.2022 तस्दीक फरमाने में त्रुटि

की है । क्योंकि अपीलान्ट नं0 1 के पिता व अपीलांट नं0 2 के ससुर श्री नाथूलाल जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम कंवरपुरा के विभिन्न खसरा नम्बरान किता 15 की 4.0700 हे0 भूमि स्थित थी, खातेदार नाथू मीणा की दिनांक 5.3.2006 को मृत्यु हो गयी थी । खातेदार श्री नाथू जाति से मीणा थे एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति थे, तथा जन जाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा मीणा जाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इसके बावजूद अपील नं0 1 के पिता व महावीर मृतक के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत धाकड खेडी में खातेदार नाथूजी मीणा का फोती नामा0 सं0 94 में अपीलांट नं0 1 महावीर अमरलाल एवं विधवा पत्नी केसरबाई के साथ साथ नाथूजी मीणा की पुत्रियां श्रीमती मोहनी बाई, श्रीमती फूंला बाई एवं श्रीमती सोहनी बाई के पक्ष में सम्भाग से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । इसके बाद विक्रेता फूलां बाई व अमरलाल द्वारा अवैधरूप से दर्ज हुये 1/7, 1/7 कुल 2/7 हिस्से की भूमि का रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया, पंजीकृत विक्रय पत्र सर्वथा अवैध, प्रभावशून्य, एवं विधि विरूद्व है जिसे निरस्त कराने की पृथक एवं अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित कराने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । अतः तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 24.5.2022 ग्राम कंवरपुरा प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नम्बर नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर का वकालतनामा पेश हुआ, वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही सर्वथा गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 11.5.2022 को विधि विरूद्व तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट नं0 1 के पिता व अपीलांट नं0 2 के ससुर एवं अपीलांट नं0 3 पवन के दादाजी श्री नाथूजी उर्फ श्री नाथूलाल जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा के विभिन्न खसरा नम्बरान की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि स्थित थी, खातेदार नाथू जी मीणा की दिनांक 5.3.2006 को मृत्यु हो गयी थी । खातेदार श्री नाथू जी जाति से मीणा थे । राजस्थान राज्य में मीणा जाति एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार बाबत ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार मीणा जाति के व्यक्ति खातेदार की मृत्यु होने पर पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलांट नं0 1 के पिता व महावीर (मृतक) के पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रियों को हक विरासत प्राप्त नहीं होता है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत धाकडखेडी ने मृतक खातेदार श्री नाथूजी मीणा का फोती नामान्तरकरण संख्या 94 खातेदार नाथूलाल जी के पुत्रों अपीलांट नं0 1 महावीर, अमरलाल एवं विधवा पत्नी श्रीमति केसर बाई के साथ साथ नाथूजी मीणा की पुत्रियां श्रीमती मोहनी बाई, श्रीमती फूलां बाई एवं श्रीमती सोहनी बाई के पक्ष में समभाग से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व प्रथक से अपील प्रस्तुत की है । नाथूजी मीणा की पुत्रियों के पक्ष में तस्दीक हुये अवैध विधि विरूद्व एवं प्रभावशून्य फोती नामान्तरकरण संख्या 94 ग्राम कंवरपुरा खातेदार की पुत्रीयां श्रीमती मोहनी बाई, श्रीमती फूलां बाई व श्रीमती सोहनी बाई को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा कानूनन वे उपरोक्त भूमि की खातेदार टीनेन्ट नहीं है । नाथू जी की पुत्रियों को गलत विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व अभिलेख जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर अपील विषयक आराजीयात में दर्ज हुये तथाकथित हिस्से की भूमि को अन्तरित करने, बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । विक्रेता श्रीमती फूला बाई द्वारा अवैध रूप से 1/7 हिस्से की भूमि का रेस्पो0 नं0 1 महेन्द्रपाल मीणा के पक्ष में निष्पादित किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र सर्वथा अवैध प्रभाव शून्य एवं विधि विरूद्व है । जिससे रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है

। नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 11.5.2022 ग्राम कंवरपुरा सर्वथा अवैध एवं शून्य प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट नं0 3 अमरलाल मानसिक रूप से मंदबुद्वि व्यक्ति है, अनसाउन्ड माइन्ड का व्यक्ति है, जिसके बौद्विक विकास में कमी है, रेस्पोडेन्ट नं0 3 अमरलाल में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वह अपना भला बुरा नहीं समझता है । रेस्पोडेन्ट नं0 4 रेस्पोडेन्ट नं0 3 की माता है एवं उसकी प्राकृतिक संरक्षक है । अतः रेस्पो0 नं0 3 को जरिये संरक्षक माता रेस्पो0व नं0 4 श्रीमती केसर बाई पक्षकार बनाया गया है । रेस्पो0 नं0 3 अमरलाल के खाते व हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं है । रेस्पो0 नं0 3 अमरलाल के खाते व हिस्से की भूमि का रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र अवैध एवं प्रभावशून्य है । अतः अवैध एवं प्रभावशून्य पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 232 अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं0 232 दिनांक 11.5.2022 ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा को निरस्त फरमाया जावें । वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये–

- RRT 2021(1)705 प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार Hindu Succession Act is not applicable in case of persons belonging to Scheduled Tribe
- 2025 Law Finder Decided on 8-10-2025,
- RBJ (31)2024 Mutation in revenue records neither creates nor extinguishes title nor does it hav any presumptive value on title. All it does is entitle the person in whose favour mutation is done to pay the Land revenue in Question.
- RRT 2025(1)594 Imp. point:-No right / title accrue to the purchaser of the property when the vendor have no title of property.
- AIR Supreme court 2719 – Evidence act (1 of a872) s. 35 Entrie in revenue records – do not convey or extinguish any title- widow mutated lands favour of her adopted son- Neither adopted sons would acquire title nor widow title in the property wouldget extinguished since no title as such was passed on under alieged "mutation gift"
- (2006) 5 Supreme Court Cases 353 – Specific Ralief, Act 1963- Void ab initio document- Need, if any for a deecree setting aside such a document- held there is no need of a decree in such acase as such document would be a nullity

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 09.5.2022 को दर्ज किया जाकर 11.5.2022 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है । वर्ष 2007 में नाथूलाल जी के स्वर्गवास के बाद फोती नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2022 में फूलां बाई व अमरलाल द्वारा वाद विषयक भूमि में अपना हिस्सा 1/7,1/7 का बेचान दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से प्रतिफल राशि प्राप्त करते हुये महेन्द्र मीणा को दिनांक 2.5.2022 को करते हुये कर दिया गया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खरीलददार महेन्द्र मीणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 232 व 234 स्वीकृत कर खातेदार के रूप में नाम खरीददार को राजस्व अल्भिलेख में दर्ज होकर बहैसियत काबिज चले आ रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलांट ने एक रेगूलर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया हुआ है जो उक्त अपील प्रस्तुत होने के पूर्व से ही सक्षम राजस्व न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है । इसके अलावा तीन अलग अलग वाद अपीलांट ने सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 2, कोटा एवं अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 5 कोटा के यहां भंवरलाल बनाम मोहनी बाई व भंवरलाल बनाम फूला बाई व अमरलाल बनाम महेन्द्रपाल के नाम से लम्बित चले आ रहे है । इस प्रकार सक्षम न्यायालय में रेगूलर वाद व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को चुनौती देते हुये वाद लम्बित चले आ रहे है और विधि का स्थापित सिद्वांत है कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है । 2011(1)RRT page 64 व

2021(2)RRT page 952 में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है कि किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

- वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलांट फोती नामान्तरकरण की अपील 15 वर्ष बाद बिना किसी युक्तियुक्त कारण के झूंठे तथ्य देरी के सम्बन्ध में झूंठे शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करते हुये रेस्पोडेन्ट के हक अधिकारों को समाप्त करवाना चाहता है जो कानूनन सम्भव नहीं है । चूंकि इस सम्बन्ध में सक्षम राजस्व न्यायालयमें लम्बित रेगूलर वाद में व सक्षम सिविल न्यायालय में लम्बित तीनों वाद में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की वैधता व अवैधता के सम्बन्ध में निर्णय होने के बाद ही हक अधिकार निर्धारित होंगे और इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अभी अपने न्यायिक निर्णय DNJ 2025 SC page 967 में विधि को स्थापित कर दिया है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों के समान पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान नहीं कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन किया है और मीणा कम्प्यूनिटी में पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध न्यायिक निर्णय पारित किया है । इस आधार पर भी नामान्तरकरण की अपील में बिना साक्ष्य लिये यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नहीं ? इस समबन्ध में हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में लम्बित रेगूलर वाद में ही बाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय होना है, इस आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

- वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे यह भी कथन किया है कि न्यायालय के समक्ष अपीलांट की एक बहिन मोहिनी बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी मोतीलाल, निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा द्वारा वाद विषयक भूमि में निहित हिस्सा 1/7 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 2.5.2022 को रेस्पोडेन्ट महेन्द्र मीणा को किया गया था, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलांट ने एक अन्य अपील माननीय न्यायालय में अपील संख्या 65/2022 भंवरलाल बनाम महेन्द्र मीणा के नाम से प्रस्तुत की, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित करते हुये अपील खारिज फरमा दी और आदेश दिया कि जब तक विक्रय पत्र प्रभावी है, विक्रय पत्र के प्रभावी रहते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना उचित नहीं है । उपरोक्त अपील भी समान तथ्य पर आधारित है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है । इसी प्रकार अपीलांट ने एक अन्य अपील संख्या 47/2022 भंवरलाल बनाम मोहिनी बाई के नाम से पिता नाथूलाल जली के स्वर्गवास के बाद स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.3.2007 वाके ग्राम कंवरपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के विरूद्व भी अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की अधिकारिता के अभाव में वापिस लौटा दिया गया । इस प्रकार पूर्व स्वीकृत किया गया फौती नामान्तरकरण दिनांक 30.3.2007 प्रभावी होने से अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये– 2011(1)RRT 64, 2012 (1) RRT 374, 2018(2) RRT 1552, 2023(1) RRT 576 प्रस्तुत किये है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 11.5.2022 की दिनांक 26.5.2022 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क है कि नाथू जी उर्फ श्री नाथूलाल जी के खाते की भूमि ग्राम कंवरपुरा के खसरा नम्बरान की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि स्थित है । नाथू जी की मृत्यु दिनांक 5.3.2006 को हो चुकी है तथा खातेदार नाथूजी जाति से मीणा होकर अनुसूचित जन जाति के होने से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार बाबत ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होना तथा ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार मीणा जाति के व्यक्ति खातेदार की मृत्यु के पश्चात पुत्रियां को हक विरासत प्राप्त नहीं होने का तथ्य अंकित किया है इसके लिए वकील अपीलांट द्वारा

विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है । नामान्तरकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2024 RBJ 113, से हम सहमत है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, भूमि के नामान्तरकरण से न तो भूमि पर अधिकार प्राप्त होते है न ही खत्म होते है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यह अपील नामान्तरकरण संख्या 232 की प्रस्तुत हुई है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है । विवादित भूमि में पुत्रियों का अधिकार है अथवा नहीं इसके लिये अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें पुत्रियों का अधिकार तय होना है, जिसकी प्रति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश की हुई है । जिस नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत हुई है वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत है तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए अपीलांट ने सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है, उसकी भी प्रति रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत है जो रिकार्ड पर है । ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना विधि अनुरूप नहीं है । इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय 2011(1)RRT page 64 व 2021(2)RRT page 952 **में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार "किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता ।** इस प्रकरण में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिये सिविल न्यायालय में व स्वत्व के निर्धारण के लिये नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन है । रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा होते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं न्यायिक निर्णय पूर्णरूप से इस प्रकरण में चस्पा नहीं होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है, तथा विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी है, विक्रय पत्र के प्रभावी रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना उचित नहीं पाते है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 11.5.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा